राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

भू– तल, ब्लॉक–6, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
फोन नं: 0141–2700459 E-Mail:- rajsmsa.civil@rajasthan.gov.in

क्रमाक:–F.5(3)(134)RCScE/SWSHE/SBSV/2017/ 4541 दिनांक 1/10/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
जिला–समस्त

विषयः– 2 अक्टूबर 2020 से आयोजित की जा रही ग्राम सभाओं में शिक्षा विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने बाबत्।

सन्दर्भः– सचिव, स्कूल शिक्षा, साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का अ.शा. पंत्राक 1–11/2020–IS.5(Pt) दिनांक 17.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि 2 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के मध्य प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम सभा स्तर पर "सबकी योजना सबका विकास" अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से वर्ष 2021–22 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए:–

1 ग्राम पंचायत के बच्चों का विद्यालयों में शत् प्रतिशत नामांकन व ठहराव।
2 ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थीयो का Zero Drop out।
3 विद्यालयों में भौतिक संसाधनों के विकास हेतु शौचालय निर्माण/मरम्मत, पेयजल सुविधा विकास, विद्यालय की मरम्मत, चारदिवारी निर्माण, खेल मैदान विकास, हेण्डपंप स्थापित करना/मरम्मत आदि कार्यो के प्रस्ताव ग्राम विकास कार्य योजना में सम्मिलित करवाया जाना।

अतः दिनांक 2 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के मध्य प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं में शिक्षा विभाग के उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर व पंचायत स्तर के शिक्षा अधिकारी व शिक्षक उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की प्रति।

(डॉ. भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा

www.rajsevak.com

प्रतिलिपीः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला–समस्त।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक।
7. रक्षित पत्रावली।

(रिछपाल सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता